

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक.— नर्सिंग/फार्मासिस्ट/डी-76/2019/

दिनांक

—आदेश—

श्री देवेन्द्र बुनकर फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन) खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अरनोद, प्रतापगढ का दिनांक 06.09.2016 से 01.10.2016 तक कुल 26 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश सख्या F.1(2)FD(Ruies)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।

~~डॉ~~

(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक — नर्सिंग/फार्मासिस्ट/डी-76/2019/178

दिनांक. 16-04-2019

प्रतिलिपि — निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुरितका में दर्ज करवाना सुनिश्चित करे।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अरनोद प्रतापगढ।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रणारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर